



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 227 राँची, मंगलवार,

2 जून, 2020 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

आदेश

21 अप्रैल, 2020

संख्या-267/HS-- ज्ञात हो कि तम्बाकू एवं सुपारी का सेवन करनेवालों की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूकने की होती है, जिससे कई गम्भीर बीमारियाँ यथा कोरोना (COVID-19), इन्सेफलाइटिस, यक्ष्मा, फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा “कोरोना वायरस (COVID-19)” को विश्व व्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है, जिसका संक्रमण छुने, छिंकने, खाँसने, थूकने आदि से होता है।

उक्त के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(i) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या- 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 15 अप्रैल 2020, Nation Directives for COVID -19 Management, Annexure -1 कंडिका 5 “Spitting in Public Spaces shall be punishable with fine” के आलोक में राज्य अन्तर्गत, आगामी आदेश तक, सभी सरकारी/गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं परिसर तथा अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा व सुपारी के साथ ही साथ हुक्का, E-हुक्का,

E-Cigarettes आदि किसी भी नाम से इस्तेमाल होने वाले तम्बाकू पदार्थ (Smoking एवं Smokeless) इत्यादि का उपयोग एवं बिक्रय (आनलाइन विक्रय सहित) को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है ।

उपरोक्त आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में, गृह मंत्रालय के उक्त आदेश के साथ संलग्न सुसंगत धाराओं, यथा- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा-51 से 60 एवं IPC 1860 की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जायेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

डा० नितिन कुलकर्णी
सरकार के प्रधान सचिव
